कार्यालय थाना अधिकारी पुलिस थाना सरवाना जिला जालौर।

क्रमांक/पीएसएस/2020/ 2021 दिनांक 27.9.2020

सेवामें,

श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय,
वृत सांचौर जिला जालौर।

विषयः- मुकदमा नंबर 133 दिनांक 48 2020 धारा 341 323/34 भादस पीएस सरवाना में जांच रिपोर्ट भेजने बाबत।

प्रसंगः- राजस्थान संपर्क पोर्टल परिवाद क्रमांक 09200678671099 परिवादी श्री ज्ञानेशकुमार के सम्बन्ध में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग की संदर्भ में निवेदन है कि मुकदमा संख्या 123 दिनांक 4.08.2020 धारा 341, 323/34 भादस के संबंध में राजस्थान पत्रिका जालौर संस्करण दिनांक 01.09.2020 को प्रकाशित खबर युवक को मूत्र पिलाया पुलिस बोली सामान्य घटना के संबंध में बिंदुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. निवेदन है कि दिनांक 4.8.2020 को वक्त 7.06 पीएम पर प्रार्थी श्री गोरधनराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी गिडा हाल शिवगढ़ खेजडियाली ने उपस्थित थाना होकर मन थानाधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पैश की जिसमें उसने दिनांक 4.8.2020 को वक्त 11.30 एएम पर प्रार्थी को अपने खेत जाते हुए को रास्ता रोककर मारपीट हरीराम बांकाराम निम्बाराम व रायमलराम द्वारा करना बताने पर प्रकरण संख्या 123/2020 धारा 341, 323/34 भादस में दर्ज किया जाकर आईओ को गहन अनुसंधान करने हेतु निर्देशित किया गया था निर्देशानुसार आईओ ने प्रार्थी श्री गोरधनराम के लगी चोटों का जाहीरा निरीक्षण कर जेहरीर मुर्तिब की गई चुकि प्रार्थी ने कोई जहरीला पदार्थ पिलाने की कोशीश कर रहे थे की बात बताई थी जिस पर आईओ को निर्देश दिए गए आईओ ने प्रार्थी के लगी चोटो जाहिर निरीक्षण कर चोटे तेहरीर में अंकित की और लिखा गया कि प्रार्थी के उक्त चोटो के अलावा और कोई चोट होतो तो निरीक्षण कर आईआर दिलनो का निवेदन किया था आईओ के निवेदन पर एमओ हाडेचा ने श्री गोरधनराम का निरीक्षण कर तेहरीर में दर्ज पांच चोटे ही बताते हुए सिम्पल बलन्ट जाहीर किया था अन्य कोई चोट प्रार्थी के बदन पर होती तो एमओ अवश्य ही लिखता परन्तु प्रार्थी के बदन पर उक्त पांच चोट के अलावा कोई अन्य चोट नही होने से आईआर में दर्ज नही की है उक्त कार्रवाई श्री किशनलाल हेडकानि नं 73 द्वारा अपने पूर्व सामंर्थय से सदभावना पूर्वक की थी।

2. अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थी का मेडिकल मुआयना सीएचसी हाडेचा से करवाया था चुंकि रात्रि हो चुकी थी ऐसे में घटनास्थल निरीक्षण किया जाना संभव नहीं था अतः प्रार्थी को घटनास्थल पर उपस्थित रहने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया था तत्पश्चात आईओ ने दिनांक 5.8.2020 को प्रार्थी से सम्पर्क किया तो दूसरे कार्य में व्यस्त होना बताते हुए दिनांक 6.8.2020 को घटनास्थल निरीक्षण करवाने की बात बताई जिस पर अनुसंधान अधिकारी दिनांक 6.8.2020 को घटनास्थल पर पहुचे प्रार्थी से फोन से संपर्क किया परंतु प्रार्थी ने इलाज के लिए बाहर जाने का बताते हुए घटनास्थल पर उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की जिस पर पुनः मुनासिब हिदायत कर आईओ थाने पहुंचा और दीगर राज कार्य में व्यस्त हुआ मन एसएचओ ने अनुसंधान अधिकारी श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल को अविलंम्ब कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

3. चुकि अनुसंधान अधिकारी श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल नंबर 73 के घर पर जरूरी कार्य होने से अवकाश पर जाने हेतु निवेदन करने पर दिनांक 7.08.2020 को बाद दोपहर रवाना किया गया जो बाद अवकाश भुगतकर दिनांक 12.8.2020 को थाना उपस्थित आए और प्रार्थी से संपर्क कर दिनांक 13.8.2020 को घटनास्थल पर ही कथन कलमबध कर घटनास्थल का निरीक्षण किया प्रार्थी ने घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जो आईओ ने ब गोर निरीक्षण किया था निरीक्षण के दौरान प्रार्थी ने खुद को रास्ते जाते रोक कर मारपीट करने और स्वयं का बचाव करते हुए बबूल की झाड़ियों में भागना बताया था परन्तु अपने कथनो में विरोधाभाषी बयान दिए थे अतः जैसा प्रार्थी ने कहा वेसे कथन दर्ज किए गए थे और बाद अनुसंधान थाना पहुंचे प्रार्थी गोरधनराम की आई.आर. शामिल पत्रावली की गई, आई.आर. में 5 सिंपल बलन्ट चोटे थी इसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य चोट जहरीला पदार्थ पिलाने से संबंधित चोट दर्ज नहीं थी।

4. दिनांक 14.8.2020 को प्रार्थी श्री गोरधनराम ने वक्त 4.00 पीएम पर हाजिर थाना होकर दिनांक 4.08.2020 को घटित घटना की जो एफ.आई.आर दर्ज कराई थी उससे बिल्कुल व स्पष्ट नकारते हुए यह बताया कि वह दिनांक 4.8.2020 को वक्त 11.30 एएम पर अपने खेत खेजड़ीयाली से गांव गिड़ा मोटर साइकिल पर जा रहा था और शराब के नशे में होने के कारण मोटर साइकिल नीचे गिर गई जिससे उसके चोटें लगी है और पुरानी रंजिश के कारण हरिराम, बांकाराम, निंबाराम, व रायमलराम के खिलाफ झूठा लिखा कर बिल्कुल झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था वगैरा की लिखित रिपोर्ट पेश करने पर शामिल पत्रावली की गई, उक्त रिपोर्ट पैश होने से पूर्व प्रार्थी के भाई बालाराम के कथन लिए गए थे जिसमें उसने अपने भाई के साथ मारपीट होना बताते हुए एफआईआर में दर्ज तथ्यो का समर्थन किया था उक्त बात आईओ द्वारा मन एसएचओ के ध्यान में लाने पर मन एसएचओ ने अनुसंधान अधिकारी श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल 73 को मुल्जिमानो की तलबी कर व अन्य सूत्रो से घटना की सत्यता के बारे में पता लगाने के निर्देश दिए गए थे जिस पर आईओ ने दिनांक 19.8.2020 व 22.8.2020 को अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के गांव शिवगढ़, खेजड़ीयाली, व गिडा जाकर अनुसंधान के प्रयास किए व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगणो के मुकाबले में अनुसंधान करने हेतु तलबी की गई मगर बावजूद तलबी के भी दोनों पर उपस्थित नहीं हुए थे जो प्रयास केश डायरी में सैव से दर्ज नहीं हो सके परंतु ऑनलाइन रोजनामचा में उक्त प्रयासों की आमद रवानगी दर्ज है जो सलंग्न प्रेषित है।

Scanned with CamScanner

5. चुकिं थाना स्तर पर पेंडिंग पत्रावलियो का त्वरित गति से निस्तारण कर माह के अंत में पेंडेंसी कम करने के प्रयास किए जाते हैं उक्त प्रयासों के दौरान जिन प्रकरणों का अनुसंधान स्पष्ट पूर्ण हो चुका था उनका निस्तारण व नतीजा आदेश प्राप्त किया गया था क्योंकि इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रार्थी पक्ष द्वारा बार-बार तथ्य बदलकर गुमराह किया जा रहा था घटना की सत्यता स्पष्ट नहीं हुई थी ऐसे में और प्रयास के लिए पत्रावली को पेंडिंग रखते हुए हेडकानि श्री किशनलाल को मुनासिब हिदायत दी गई थी।

6. दिनांक 31.8.2020 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साचोर द्वारा शाम को वक्त 7.14 पीएम पर मंन एसएचओ को को व्हाट्सएप के जरिए एक वीडियो भेजकर उक्त घटना के संबंध में पूछा गया तो घटना प्रकरण हाजा से संबंधित लगने पर अनुसंधान अधिकारी श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल को तलब कर हालात मालूम किए गए तो प्रार्थी गोरधनराम के साथ मारपीट करने का मामला पाया जाने पर व घटना की सत्यता का पता लगने पर तुरंत ही श्री किशनलाल हेडकांस्टेबल 73के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मुल्जिमान गिरफ्तारी हेतु वक्त 7.19 पीएम पर गिडा, खेजड़ियाली को रवाना किया गया और उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अनुसंधान मन एसएचओ ने स्वयं जिमें लेकर उक्त वीडियो की घटना के आधार पर प्रकरण में धारा 365, 342, 355 भादस जोड़ी गई थी, चुकिं दिनांक 31.8.2020 को घटनास्थल व गांव गिड़ा शिवगढ़ वगैरा में अत्यधिक वर्षा होते हुए भी मुल्जिमान दस्तीयाबी हेतु भरसक प्रयास रात्री में किये गये थे मगर मुल्जिमान दस्तयाब नहीं हो सके इसलिए अनुसंधान दिनांक 31.8.2020 को नहीं हो सका, दिनांक 1;9.2020 को मन एसएचओ ने पुनः श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल नं. 73 के निर्देशन में टीम का गठन कर मुल्जिमान की तलाश हेतू भेजें जिस पर वक्त 12.30 पीएम पर सरहद वेडिया से मुल्जिमान हरिराम, बांकाराम व रायमल के भाई मांगीलाल को दस्तयाब कर थाने लाए थे जिन मुल्जिमान से पूछताछ करने पर मुल्जिम मांगीलाल द्वारा पूछताछ के दौरान उक्त घटना से संबंधित, वीडियो बांकाराम से प्राप्त कर ए.एस. गोदारा ग्रुप में भेज कर वायरल करना बताने पर प्रकरण में धारा 67 आईटी एक्ट जोड़ी गई थी।

7. मन थानाधिकारी आईओ श्री किशनलाल हेड कांस्टेबल नं. 73 व थाना हाजा के अन्य किसी पुलिस जाब्ता के संज्ञान में दिनांक 31.8. 2020 से पूर्व उक्त वीडियो जिसमें प्रार्थी गोरधनराम के साथ मारपीट होना व पैशाब पिलाना दर्शाया गया है का संज्ञान नहीं था नहीं किसी प्रकार की भनक थी अगर ऐसा होता तो अवश्य ही तुरंत कार्रवाई की जाती ज्योही दिनांक 31.8.2020 को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय साचोर द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान करवाया तो मन एसएचओ मय अनुसंधान अधिकारी व थाना हाजा का जाब्ता तुरंत कार्रवाई में तत्पर हो गये।

8. यह है कि मुकदमा हाजा में मन एसएचओ एवं आईओ किशनलाल हेडकानि मय जाब्ता द्वारा बहुत ही तत्पर कार्यवाही करते हुए सभी आरोपीगण 1. बांकाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी गिडा पीएस बाखासर, 2. हरीराम पुत्र श्री जीयाराम जाति जाट निवासी गिडा पीएस बाखासर, 3. मांगीलाल पुत्र श्री अमराराम जाति जाट निवासी गिडा पीएस बाखासर, 4. रायमलराम पुत्र श्री अमराराम जाति जाट उम्र 33 साल पैशा ड्राईवरींग निवासी गिडा पीएस बाखासर जिला बाडमेर व 5. निम्बाराम पुत्र श्री अमराराम जाति जाट उम्र 28 साल पैशा खेती/ड्राईवरींग निवासी शिवगढ (खेजडियाली) पीएस सरवाना को गिरफतार कर लिये गये है।

9. श्रीमान से निवेदन है कि मन थानाधिकारी ने अपने बेहतर ज्ञान व समर्थता से प्रकरण हाजा का सुपरविजन कर अनुसंधान अधिकारी श्री किशनलाल हेड कानि को समय समय पर उचित मार्गदर्शन देता रहा और आईओ ने भी मार्गदर्शन अनुसार कार्यवाही करने के प्रयास किये है मन थानाधिकारी व आईओ ने उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दोरान पूर्ण सदभावनापूर्वक व निष्पक्ष व अपने ज्ञान व साम्थर्य के अनुसार प्रयास किये है बदनियती व लापरवाही का कही भी समावेश नही किया है मन एसएचओ व आईओ ने किसी भी समाननीय पत्रकार को यूवक को मूत्र पिलाया पुलिस बोली सामान्य घटना बाबत बात नही की है।

अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट सादर अवलोकनार्थ पैश है।

भवदीय

(अमरसिंह नि पु)

थानाधिकारी

पुलिस थाना, सरवाना

थानाधिकारी

पुलिस थाना सरवाना (राज.)

Scanned with CamScanner